


वित्तीय संस्थाएं

5.1 सतत वित्तीय सुधारों और उभरती स्पर्धी वित्तीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। वित्तीय संस्थाएं तब स्थापित की गई थीं जब पूँजी बाजार अपेक्षाकृत अल्पविकसित थे और अर्थव्यवस्था की दीर्घवधि वित्तीय आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं थे। दीर्घवधि निधियों के लिए बाजारों को विस्तृत और गहन करने के साथ वित्तीय संस्थाओं से कम दरों पर ऋण देना और जारी रखने का औचित्य बहुत अधिक कमजोर हो गया है क्योंकि सरकार द्वारा रियायती वित्त को जारी रखना ना तो वहनीय और न ही वांछनीय लगता है। यह वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुरूप है तथा इसमें दक्षता और स्थिरता के निर्धारण पर जोर दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्त के रियायती स्रोत को समाप्त किए जाने और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के बीच अंतर क्षीण होने से वित्तीय संस्थाओं को न केवल बाजार आधारित दरों पर संसाधन जुटाने होंगे, बल्कि आस्ति तथा देयता दोनों पक्ष पर एक स्पर्धात्मक परिवेश से जूझना होगा। इसके अलावा, हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन तथा औद्योगिक मंदी ने वित्तीय संस्थाओं के व्यापार तथा लाभप्रदता की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस परिवर्तित वातावरण को देखते हुए वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों, गतिविधियों तथा उत्पादों के संदर्भ में अपने व्यापार (कारोबार) को व्यवस्थित करने तथा उसमें विविधता लाने करने की प्रक्रिया में हैं।

5.2 भारत में वित्तीय संस्था के क्षेत्र में मीयादी उधारदात्री संस्थाएं निवेश संस्थाएं, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं तथा पुनर्वित्त संस्थाएं जैसी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आती हैं। इनमें से नौ वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई), आइएफसीआई लि., भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइआइबीआई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआई), बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी लि. (आइडीएफसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), रिजर्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र में आते हैं (चार्ट V.1)। अतः इस अध्याय में वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियों तथा निष्पादन की समीक्षा में मुख्यतः उपर्युक्त नौ वित्तीय संस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

5.3 1996-2000 के दौरान वित्तीय संस्थाओं¹ द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विपरीत 2001-2002 के दौरान दर्ज की गयी तीव्र गिरावट कमी वर्ष 2002-03 में जारी रहीं। नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी, औद्योगिक उत्पादों के लिए बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए उपयोग न की गयी क्षमताओं

चार्ट V.1 : वित्तीय संस्थाओं का विनियामक ढाँचा



¹ अखिल भारतीय विकास बैंक, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं, निवेश संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। शामिल वित्तीय संस्थाओं के नामों के लिए परिशिष्ट सारणी V.1 देखें।

के वास्तविक समापन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त न्यून (कम) दरों से स्पर्धा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब आदि सभी ने चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पर्याप्त गिरावट में योगदान दिया। तथापि, 30 मार्च 2002 को आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक में विलय के कारण भी आंशिक गिरावट आयी। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र की वृद्धि में हाल की तेजी परियोजना वित्त के लिए समतुल्य मांग उत्पन्न नहीं कर सकी क्योंकि कई सेवा उद्योग मानव पूंजी बहुल तथा उन्हें सीमित दीर्घावधि वित्त की आवश्यकता होती है।

5.4 2002-2003 के दौरान समूह के रूप में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन ने पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक गिरावट दर्शायी है। ऐसा कीमत लागत अंतर और ब्याजेतर आय में कमी तथा आइएफसीआई, आइआइबीआई की संचित होती हुई उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) और उनसे संबंधित प्रावधानीकरण के फलस्वरूप उनकी कम होती हुई लाभप्रदता एवं पूंजी में हास के साथ-साथ अन्य व्ययों में वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, यदि इन दो संस्थानों को शामिल न किया जाये तो सभी वित्तीय संस्थाओं ने धनात्मक परिचालनीय तथा निवल लाभ पिछले वर्ष की तरह दर्ज किये हैं। कई वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि आर्थिक सुधार की धीमी गति और क्षेत्रीय अवरोधों के कारण हुई।

2. वित्तीय संस्थाओं के लिए नीतिगत पहलें

5.5 हाल के वर्षों में चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों का प्रमुख जोर उनकी स्थिरता तथा कार्यक्षमता

बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों पर रहा है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं के विवेकपूर्ण विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचों को सुदृढ़ करने तथा लेखांकन और लेखा-परीक्षण के मानकों में सुधार करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उनकी प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधा का विकास करने तथा साथ ही उनके परिचालनों में लचीलापन लाने पर जोर दिया गया।

विवेकसम्मत मानदण्ड

पूँजी पर्याप्तता

5.6 20 फरवरी 2002 से वित्तीय संस्थाओं को उधार देनेवाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के संबंध में गारंटियाँ देने के लिए अनुमति दी गई थी बशर्ते गारंटी जारी करनेवाला बैंक बुनियादी सुविधा परियोजना में परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत तक निधीयित हिस्सा ले और परियोजना का सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करे। इस परिप्रेक्ष्य में किसी वित्तीय संस्था द्वारा पूँजी में वित्तीय संस्था की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात के अधिकलन के लिए पूँजी में किसी बैंक की गारंटी पर ऋण प्रदान करने के प्रयोजन से जोखिम भार 8 अगस्त 2002 को निर्धारित किया गया। तदनुसार, 20 प्रतिशत का जोखिम भार ऋण के उस भाग पर लगाया जायेगा जिसपर बैंक की गारंटी प्राप्त है और ऋण की शेष राशि पर 100 प्रतिशत जोखिम भार होगा। अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को रिहायशी आवास संपत्तियों के बंधक पर दिये जानेवाले आवास ऋण 31 अगस्त 2002 से संशोधित किये गये। सारणी V.1 में ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है।

सारणी V.1 : बैंक गारंटी पर आवास ऋण, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और ऋणों के लिए जोखिम भार

(प्रतिशत)

श्रेणियाँ	पुराना जोखिम भार	31 अगस्त 2002 से नया जोखिम भार
1	2	3
1. रिहायशी आवास संपत्तियों के बंधक पर व्यक्तियों को आवास ऋण	100	50
2. वाणिज्यिक भू संपदा (रीयल इस्टेट) की जमानत पर ऋण	100	100
3. अपने स्व कर्मचारियों को ऋण #	20	20
4. बैंक गारंटी के बिना दिए गए अन्य ऋण	लागू नहीं	100
5. बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश	लागू नहीं	50 (+ बाजार जोखिम के लिए दो प्रतिशत) @
6. यदि आस्तियाँ वाणिज्यिक संपत्तियों सहित बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ अंतःवर्ती हो	100	100
7. बैंक गारंटी पर ऋण (बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए)	लागू नहीं	20

: केवल वे जो अधिवर्षिता लाभों तथा फ्लैटों/मकान के बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं।

@ : बशर्ते बंधक समर्थित प्रतिभूति की अंतःवर्ती आस्ति आवास वित्त कंपनियों की रिहायशी ऋण आस्तियाँ हों जिन्हें राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जो पर्यवेक्षित हो और कतिपय शर्तों को पूरा करते हो।

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण

5.7 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं से संबंधित ऋण आस्तियाँ उचित रूप से मूल्यांकित हैं, उन्हें उनकी परियोजना लागत और उनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात्

- क) परियोजनाएँ जहाँ वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त की गयी है और जिनका औपचारिक रूप से प्रलेखीकरण किया गया (श्रेणी-I);
- (ख) 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की मूल परियोजना लागत की परियोजनाएं और जिनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि औपचारिक रूप से प्रलेखीकृत नहीं हुई है (श्रेणी II); और
- (ग) 100 करोड़ रुपये से कम की लागतवाली मूल परियोजनाएं और जिनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि औपचारिक रूप से प्रलेखीकृत नहीं हुई है (श्रेणी III)।

5.8 तदनुसार श्रेणी I के मामले में, मूल वित्तीय प्रतिबद्धता के समय पर विचार किये गये अनुसार दो वर्षों की समयावधि परियोजना के पूर्ण होने की तिथि से गिनी जायेगी और आस्तियाँ 2 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए मानक के रूप में समझी जायेगी। श्रेणी II के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं का आस्ति वर्गीकरण ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि के संदर्भ में निर्धारित करना अपेक्षित है, जो ऋणदात्री संस्थाओं के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा तय की जाएगी। ऐसे मामलों में आस्तियों को परियोजना पूरी होने की निर्धारित तिथि से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए मानक रूप में माना जाये। श्रेणी III के मामले में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि मूलतः विचार किये गये अनुसार परियोजना के पूर्ण होने के बाद ठीक दो वर्षों मानी जाएगी तथा ऐसे मामलों में आस्तियाँ दो वर्षों की अवधि के लिए ही मानक के रूप में मानी जाये। वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया गया कि विवेक सम्मत उपाय के रूप में ऐसे लेखों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित प्रावधानों को ऐसे मामले में भी नहीं पलटना चाहिए जहाँ कतिपय लेखे 'मानक' श्रेणी के लिए उन्नयन हेतु पात्र हो सकते हैं।

पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौता के जरिए निपटान

5.9 वित्तीय संस्थाओं को पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए संशोधित दिशानिदेश, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी किये गये थे, लागू करने के लिए सूचित किया था। ये दिशानिदेश निर्धारित समय के भीतर गैर-निष्पादक

आस्तियों के स्टॉक से बकाया की अधिकतम वसूली के लिए एक सरल, अविवेकपूर्ण और भेदभावरहित व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे। संशोधित दिशानिदेशों में लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित गैर-निष्पादक आस्तियाँ (10 करोड़ रुपये तक) शामिल होंगी। तथापि, दिशानिदेशों में जानबूझकर जी गई चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित दिशा निदेश शामिल नहीं होंगे। वित्तीय संस्थाओं को जानबूझकर की गई चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को पहचानना चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। संशोधित एकबारगी निपटान के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2003 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2003 कर दी गई और आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ण होने की तिथि भी 31 अक्टूबर 2003 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2003 कर दी गई।

निवेश

5.10 कुछेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये कतिपय सुझावों तथा प्रश्नों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने निवेशों से संबंधित अनेक मामलों पर जुलाई 2002 में और अधिक स्पष्टीकरण/आशोधन जारी किये (बाक्स V.1)।

निवेश जोखिम मानदण्ड

5.11 निवेश जोखिम मानदण्डों के प्रयोजनार्थ बुनियादी सुविधा परियोजनाओं संबंधी बैंकों द्वारा गारंटीकृत वित्तीय संस्थाओं के ऋण आगे दिये गये अनुसार करने जाएंगे - वित्तीय संस्थाओं का संपूर्ण ऋण उधार लेनेवाली संस्था पर एक निवेश जोखिम के रूप में माना जायेगा न कि ऋण की गारंटी देनेवाले बैंक पर यह ऋण सकेन्द्रण की मात्रा को उचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा। यदि निधीयन सुविधा एक मीयादी ऋण के रूप में है तो निवेश जोखिम का स्तर विद्यमान मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात्

- संवितरण की शुरुआत के पहले स्वीकृत सीमा अथवा उस सीमा तक जहाँ तक कि वित्तीय संस्था ने करार के अनुसार उधार लेनेवाली संस्था के साथ वचनबद्धता दी हो, जो भी मामला हो, और
- संवितरण की शुरुआत होने के पश्चात बकाया और अवितरित अथवा अनाहरित कुल राशि की वचनबद्धता।

5.12 बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश आवास ऋण देनेवाली आवास वित्त कंपनी पर प्रतिभूतिकृत थे निवेश जोखिम में नहीं आयेंगे। किन्तु ये आस्तियों के बंधकों/ऐसी प्रतिभूतियों के विचाराधीन बाध्यताधारियों के लिए स्थापित होंगे। अतः निवेश

बाक्स V.1 : वित्तीय संस्थाओं के लिए निवेश मानदण्ड*

क्र. मद्	मानदण्ड
1. धारिता अवधि	<ul style="list-style-type: none"> ‘परिपक्वता तक धारित’ (एचटीएम) निवेशों के लिए परिपक्वता तक ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ निवेश (एएफएस) हेतु निर्धारित अवधि नहीं। व्यापार हेतु (एचएफटी) धारित निवेशों के लिए धारित अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं।
2. राशि	<ul style="list-style-type: none"> एचटीएम में शामिल निवेश बैंक के कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। एएफएस तथा एचएफटी के लिए धारिता की सीमा के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता
3. पात्र लिखत	<ul style="list-style-type: none"> एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत केवल निर्धारित आयवाली प्रतिभूतियों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, अग्रिम के रूप में संयुक्त उद्यमों और अनुषंगी संस्थाओं के अधिमान शेयरों, इक्विटी, बाण्डों/ डिबेंचरों के संबंध में कतिपय अपवादों की अनुमति है। एएफएस और एचएफटी में रखे जानेवाले निवेशों की मात्रा और स्वरूप के बारे में निर्णय लेने के लिए वित्तीय संस्थाएं स्वतंत्र हैं।
4. मूल्यन की विधि	<ul style="list-style-type: none"> एचटीएम : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्य) आवश्यक नहीं है। उन मामलों में जब तक कि अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, अभिग्रहण लागत पर जहाँ प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता के लिए शेष अवधि में किया जाना है। एएफएस : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना - वार्षिक अथवा प्रायः बारंबार। प्रत्येक वर्गीकरण में निवल मूल्यवृद्धि पर ध्यान नहीं देना होगा, निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाना है। एचएफटी : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना - मासिक या प्रायः बारंबार। निवल मूल्यवृद्धि और मूल्यहास आय खाते में ले जायी जा सकती है।
5. विशिष्ट लिखतों का मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु बाजार मूल्य। एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों में निवेश विभिन्न स्रोतों जैसे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ), निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) आदि से उपलब्ध प्रकार से प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य होगा। निम्नलिखित अनुद्धत प्रतिभूतियों के संबंध में क्रियाविधि इस प्रकार है :
क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	<ul style="list-style-type: none"> वाईटी एम दरें पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ की गईं। रख-रखाव लागत पर खजाना बिल
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	<ul style="list-style-type: none"> समान परिपक्वता केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ को वाईटीएम से अधिक 50 आधार बिन्दुओं पर पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ किया गया।
ग) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ।	<ul style="list-style-type: none"> समान परिपक्वतावाली केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को आय से 50 आधार बिन्दु अधिक पर पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ किया गया।
घ) डिबेंचर/ बाण्ड	<ul style="list-style-type: none"> सभी डिबेंचरों/बाण्ड्स, जो अग्रिम की प्रकृति से अलग हैं, का वाईटीएम आधार पर मूल्यांकन किया जाए। ऐसे डिबेंचर विभिन्न क्रम-निर्धारणवाली विभिन्न कंपनियों के हो सकते हैं। इन्हें केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों से ऊपर समुचित सीमांकन के साथ मूल्यांकित किया जाएगा। जैसा कि सावधिक रूप से पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा किया जाता है। क्रम निर्धारण एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बाण्डों के दिए गए क्रम-निर्धारण के अनुसार ही इस सीमांकन को श्रेणीबद्ध किया जाएगा। बकाए राशि के बकाए के साथ क्रम-निर्धारण रहित/ उद्धृत लिखतें भी उल्लिखित तरीके से मूल्यांकन की जानी हैं।
ङ) अधिमान शेयर	<ul style="list-style-type: none"> अधिमान शेयरों का मूल्यांकन वायटीएम आधार पर होगा। इनका मूल्य पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत केंद्र सरकार के लिए वायटीएम से अधिक उचित कीमत लागत अंतर पर (श्रेणी निर्धारित एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार) निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाएगा।
च) इक्विटी शेयर	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना वित्त के रूप में इक्विटी शेयर में निवेश को अनिवार्य रूप से एएफएस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसी इक्विटी का मूल्य निर्गमकर्ता कंपनी के बकाया ऋणों और तदनुसार बनाई गई इक्विटी के लिए लागू प्रावधान के आस्तित्व वर्गीकरण को सांकेतिक रूप में आगे बढ़ाकर किया जायेगा। यदि उक्त ऋण मानक श्रेणी में हैं तो उनके लिए लागू मानक ऋण आस्तियों के प्रावधान इक्विटी में मूल्यहास के लिए लागू करने होंगे किंतु यदि ये ऋण संदिग्ध श्रेणी में हैं तो धारित इक्विटी बेजामानती सुविधा मानी जाएगी और उसके नियमानुसार प्रावधान किया जाएगा। इक्विटी शेयरों में अन्य निवेशों को इस तरह मूल्यांकित किया जाना चाहिए। <ul style="list-style-type: none"> बाजार मूल्य, यदि उद्धृत है अलग-अलग मूल्य यदि उद्धृत नहीं किया गया है। रुपया 1 प्रति कंपनी, यदि तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा यथा पारिभाषित कम व्यापारवाले शेयरों का मूल्यांकन निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए।
छ) पारस्परिक निधि की इकाइयाँ	<p>उद्धृत पारस्परिक निधि में निवेश का मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंज भाव-सूचियों के अनुसार होना चाहिए। गैर-उद्धृत पारस्परिक निधि इकाइयों में किये निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में पारस्परिक निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर होगा। निश्चित अवरुद्धता अवधि के साथ निधियों के मामले में जहाँ पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं, इकाइयों का निवल आस्तित्व मूल्य (एनएपी) पर मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है तो इनका निश्चित अवरुद्धता अवधि तक लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाएगा।</p>
ज) वाणिज्यिक पत्र	<p>वाणिज्यिक पत्र का मूल्य रख-रखाव लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए।</p>
* वित्तीय संस्थाओं के संपूर्ण निवेश संविभाग (सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ, और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ सहित) को तीन श्रेणियों में अर्थात् ‘परिपक्वता के लिए धारित’, ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ तथा ‘व्यापार के लिए धारित’ के अधीन वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	

करनेवाली संस्था को किसी विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र, संस्था या भौगोलिक क्षेत्र में निवेश के संकेन्द्रण के बारे में चौकसी बरतनी चाहिए। अन्तःवर्ती अनुग्राहकों की बड़ी तादाद के मामले में क्षेत्र के सामने निवेश जोखिम समझा जाये। जिसे आस्तियों के समूह संबंधित है। इसप्रकार निवेश जोखिम को उद्योग या क्षेत्र के संदर्भ में मापने की आवश्यकता है जिससे सुरक्षावास्तव में संबंधित है।

5.13 ऋण जोखिम से संबंधित मानदण्ड आशोधित किये गये और गैर-निधि आधारित निवेश जोखिम अब वर्तमान 50 प्रतिशत की सीमा के बजाए 100 प्रतिशत मूल पर गिनी जायेगी। विदेशी मुद्रा में वायदा संविदाओं और मुद्रा स्वैप्स अथवा आप्शंस जैसे अन्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी के संबंध में निवेश जोखिम निश्चित करने के इन्हें व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता निवेश जोखिम तय करने में प्रतिस्थापन लागत में शामिल किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को व्युत्पन्नियों के प्रतिस्थापन लागत अर्थात् मूल निवेश जोखिम पद्धति और चालू निवेश जोखिम पद्धति प्राप्त करने के लिए दो प्रणालियों का सुझाव दिया, वित्तीय संस्थाओं को चालू निवेश जोखिम पद्धति के अंतर्गत कम से कम मासिक आधार पर व्युत्पन्नी उत्पादों के बाजार मूल्य को बही में अंकित करना आवश्यक है और वे व्युत्पन्नी उत्पादों को बाजार मूल्य को बही में अंकित करना तय करने के लिए अपने आंतरिक पद्धतियों का अनुपालन करें। तथापि, वित्तीय संस्थाओं को संभावित एकल मुद्रा जारी करना / अस्थायी ब्याज दर स्वैप्स का अभिकलन करना आवश्यक नहीं होगा। इन संविदाओं पर निवेश जोखिम उनके बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर मात्र मूल्यांकित होगी। वित्तीय संस्थाओं को 1 अप्रैल 2003 से चालू निवेश जोखिम पद्धति का अनुसरण के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता ऋण जोखिम तय करने के लिए किसी व्युत्पन्नी उत्पाद में निवेश जोखिम नापने की सही पद्धति है। यदि कोई वित्तीय संस्था चालू ऋण जोखिम पद्धति अपनाते की स्थिति में नहीं है तो मूल निवेश जोखिम पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं। तथापि समयानुसार चालू निवेश जोखिम पद्धति अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

3. पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षा

समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण

5.14 वित्तीय मध्यस्थों के समेकित पर्यवेक्षण को जटिल समूह संरचनाओं के आविर्भाव के कारण भारतीय संदर्भ में एक विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया है। समेकित पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है सभी जोखिमों

(जो संबंधित संस्थाओं के परिचालनों से उत्पन्न जोखिम सहित) जो समूह में पर्यवेक्षी संस्था को प्रभावित कर सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए किसी संस्था समूह की शक्ति का मूल्यांकन करना है। ये जोखिम पर्यवेक्षित संस्था या इससे संबद्ध संस्थाओं के बहियों में प्रविष्ट किए अथवा नहीं - इस पर ध्यान नहीं देना है। पूर्व में बड़े और स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की उनके अनुषंगियों कंपनिया के परिचालनों के कारण विफलताएं ऐसे जोखिमों के महत्त्व को स्पष्ट करती है। इस पृष्ठभूमि पर रिजर्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षण सुकर बनाने के लिए लेखांकन और अन्य मात्रात्मक पद्धतियों पर एक कई संकायों वाले कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री विपीन मलिक) का गठन किया जिसने अपनी सिफारिशें दिसम्बर 2001 में प्रस्तुत की। प्रारूप दिशा-निदेश कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर और अखिल भारतीय चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए उचित आशोधनों के साथ जारी किये गये। चूँकि उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएल) की उपलब्धता समेकित पर्यवेक्षण की पूर्व शर्त है इसलिए वित्तीय संस्थाओं को डेटाबेस के विकास में सक्षम बनाने के उद्देशार्थ एमआइएल की अपेक्षाओं के निर्माण के लिए सूचित किया गया।

5.15 वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसूचना के आलोक में रिजर्व बैंक ने वर्ष 2003-04 में कार्यान्वयन करने के लिए 1 अगस्त 2003 को अंतिम दिशा-निदेश जारी किया। वित्तीय संस्थाओं के समेकित पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी ढाँचा में निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित हैं अर्थात् (क) समेकित वित्तीय विवरण, (ख) समेकित विवेकसंगत विवरणियाँ और (ग) पूँजी पर्याप्तता जैसे विवेकसम्मत विनियमन का अनुप्रयोग, समूह-व्याप्त आधार पर बड़ा निवेश जोखिम और चलनिधि अंतर।

लेखा-परीक्षकों का क्रमावर्तन

5.16 कतिपय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दीर्घावधि के लिए लेखा परीक्षकों को नियुक्त की घटनाओं की रिजर्व बैंक ने जाँच की और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि लेखा परीक्षा कर रही लेखा-परीक्षा फर्म के साझेदार का क्रमावर्तन हो यदि फर्म लगातार चार वर्षों से अधिक समय तक लेखा परीक्षा करता है।

कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा

5.17 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उपसमिति के निदेशों के अनुसरण में अक्टूबर 2001 में 'कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा संबंधी

² अध्याय II के बॉक्स II.2 में निवेश जोखिम के दो विधियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

समिति' का गठन किया गया जिसके सदस्य रिजर्व बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान तथा चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों से थे। दिसम्बर 2002 में रिपोर्ट वित्तीय संस्थाओं को भेजी गयी ताकि उनका निदेशक मंडल इस पर विचार कर सके। समिति ने सूचना प्रणाली परिवेश में लेखा-परीक्षा के संभावित क्षेत्रों को 15 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया तथा कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा के संचालन को सहज बनाने के लिए प्रत्येक श्रेणी में मानकीकृत जांच बिंदु तैयार किए।³ इन जांच बिंदुओं का स्वरूप केवल दिशानिदेशात्मक है तथा वित्तीय संस्थान अधिक व्यापक जांच बिंदु बना सकते हैं ताकि वे जिस सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में परिचालन करते हैं तथा परिचालन का प्रस्ताव करते हैं उसके अनुरूप सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा का संचालन कर सके।

लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधन

5.18 वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिजर्व बैंक को मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था को वित्तीय प्रणाली के निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा से प्रतिस्थापित किया गया है। ऐसी समीक्षा में छमाही रिपोर्टिंग अवधि के दौरान खजाना लेन-देनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी बड़ी अनियमितताओं, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग प्रणाली

5.19 वित्तीय संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, चलनिधि और प्रणालियों (केमेल्स) पर आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल का विकास किया गया है तथा 31 मार्च 2002 की स्थिति (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2002) के संदर्भ में किए जानेवाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण से लागू किया गया है। पर्यवेक्षी रेटिंग प्रदान करने का मूल प्रयोजन आवश्यक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप (कार्रवाई) के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन और स्थिति का संक्षिप्त मूल्यांकन उपलब्ध कराना है।

परोक्ष निरीक्षण

5.20 रिजर्व बैंक 1995 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(एन) के अंतर्गत 9 वित्तीय संस्थाओं का परोक्ष निरीक्षण करता रहा है। 2002-03 के निरीक्षण चक्र के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा सभी नौ वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का काम शुरू किया गया एवं पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त 2003-04 का निरीक्षण चक्र शुरू कर दिया गया है तथा लेखांकन वर्ष 2002-03 के

लिए वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र की तारीख के संदर्भ में सभी नौ वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली

5.21 वित्तीय संस्थान अब परोक्ष विवरणियां यथा वित्तीय संस्थान प्रभाग-परोक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली (एफआइडी-ओएसएमओएस) रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा तिमाही आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) को प्रस्तुत की जा रही है। 2002-03 के दौरान (जुलाई-जून) बीएफएस ने तीन तिमाही और एक वार्षिक समीक्षाओं की समीक्षा की। बीएफएस को प्रस्तुत अद्यतन तिमाही रिपोर्ट जून 2003 को समाप्त तिमाही से संबंधित है। बोर्ड ने समग्र और संस्थान-विशिष्ट मुद्दों यथा प्रावधानीकरण अथवा अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रारक्षित भण्डार के उपयोग, रिजर्व बैंक विनियमन के क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण, वित्तीय संस्थाओं में देखे गए ऋणात्मक अंतर, वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर, वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, वित्तीय संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टें, वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं की पुनर्संरचना तथा उनकी आस्तियों की गुणवत्ता की समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी मामलों में मार्गदर्शन करना है। यह उन विशिष्ट मुद्दों पर भी निदेश देता है जिनका शीघ्र अनुपालन किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसाद के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियों के लिए उपयोग किए जानेवाले सॉफ्टवेयर में कतिपय सुधार किए गए हैं।

4. अन्य नीतिगत गतिविधियां

संबद्ध ऋण देना

5.22 वित्तीय संस्थाओं द्वारा 'संबद्ध (संबंधियों को) ऋण' से संबंधित मामले रिजर्व बैंक का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं तथा भारत सरकार के परामर्श से विस्तृत दिशानिदेश वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए (बॉक्स V.2)।

अभौतिकीकृत रूप में लेन-देन

5.23 रिजर्व बैंक इन अवधियों (वर्षों) में सरकारी प्रतिभूतियों की अभौतिकीकृत रूप में धारिता को बढ़ावा देता रहा है। वित्तीय संस्थाओं को निदेश दिया गया कि वे रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पूर्णतः पालन

³ ब्योरा अध्याय II में उपलब्ध कराया गया है।

बॉक्स V.2 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबद्ध (संबंधियों) को ऋण देना

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के परिचालन में हितों के टकराव की संभावना का निराकरण करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित नहीं करना चाहिए :

- क) अपने शेरों की जमानत पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करना; अथवा
- ख) निम्नलिखित को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण अथवा अग्रिम के लिए प्रतिबद्धता करना:
 - i) इसके किसी निदेशक अथवा
 - ii) (कुछ अपवादों के साथ) किसी फर्म अथवा कंपनी जिसमें इसके किसी निदेशक का साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटर (गारंटीकर्ता) के रूप में हित हो, अथवा
 - iii) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक साझेदार अथवा गारंटीकर्ता हो।

निदेशकों/निदेशकों के हित वाली कम्पनियों / फर्मों की ओर से गैर-निधि आधारित सुविधाएं यथा गारंटी, साख-पत्र, स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया :

- (क) पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्थाएं की गयी है ताकि आवेदकों द्वारा अपने संसाधनों से प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की जाए, :
- (ख) गारंटी मांगना अथवा साख-पत्र के डिवाल्वमेंट के परिणामस्वरूप देयता को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थान से ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए नहीं कहा जाएगा।
- (ग) साख-पत्र/स्वीकृति के कारण वित्तीय संस्थाओं पर कोई देयता डिवाल्व नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन अथवा बोर्ड की जानकारी के बिना प्रतिपक्षी निम्नलिखित श्रेणियों को अनुमत सीमा को छोड़कर ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं की जाएगी :

- (क) वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) के संबंधियों;
- (ख) अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के निदेशकों तथा उनके संबंधियों;
- (ग) वित्तपोषण करनेवाली वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों तथा निदेशकों के संबंधियों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों/म्युचुअल फंडों के न्यासियों/उद्यम पूंजी निधि के न्यासियों के निदेशकों।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, के बीच पारस्परिक व्यवस्था के विकास की संभावनाओं के निराकरण के लिए ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए कुल 25 लाख अथवा उससे अधिक के अग्रिमों के लिए निदेशक मंडल/प्रबंध समिति की मंजूरी अपेक्षित है। इन उधारकर्ताओं के 25 लाख रुपए से कम की ऋण सुविधा के प्रस्तावों को वित्त पोषण करनेवाले वित्तीय संस्थाओं के उचित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जा सकती है परंतु इस मामले की सूचना बोर्ड को दी जाए।

उन मामलों में जहाँ ऊपर बताए गए निषेधों के दायरे में वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही लेन-देन कर लिया है, वहाँ वित्तीय संस्थाओं को देय राशि की वसूली शुरू करने के तत्काल प्रयास किए जाए तथा यह वसूली ऋण अथवा अग्रिम देने के समय निर्धारित अवधि के भीतर अथवा जहाँ ऐसा कोई समय नियत नहीं किया गया है वहाँ 21 दिसम्बर 2003 के पहले की जाए। पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुपालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर रिजर्व बैंक ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि को बढ़ा सकता है परंतु तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

ऋण और अग्रिम को देने से संबंधित उपर्युक्त मानक समान रूप से संविदा देने के मामले में भी लागू होंगे।

करें जिसके द्वारा उन्हें निम्नलिखित में से किसी एक प्रतिष्ठान में सरकारी प्रतिभूतियों में अपना निवेश अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए यथा (क) सहायक साधारण खाता बही (एसजीएल) (रिजर्व बैंक के पास) अथवा ग्राहकों की सामान्य खाता बही⁴ (सीएसजीएल) (ख) भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएससीआईएल) तथा (ग) डिपॉजिटरी (भण्डारागारों)⁵ में अभौतिकीकृत खाता में। ऐसे किसी संस्था के साथ केवल एक ग्राहकों की सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) अथवा अभौतिकीकृत खाता खोला जा सकता है। यदि सीएसजीएल खाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/राज्य सहकारी बैंक में खोला जाता है तो खाताधारक को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि खाता (सभी सीएसजीएल संबंधी लेनदेन के लिए) खोलना होगा। यदि सीएसजीएल खाता गैर-बैंकिंग संस्थान में खोला जाता है तो (किसी बैंक में) निर्दिष्ट निधि खाता का ब्यौरा उस संस्थान को देना चाहिए। सीएसजीएल/निर्दिष्ट निधि खाता रखनेवाली संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे लेनदेन करने से पूर्व निर्दिष्ट निधि खाता में क्रय के

लिए भार रहित निधि की तथा बिक्री के लिए सीएसजीएल खाता में पर्याप्त प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी विनियमित संस्था द्वारा किसी ब्रोकर के साथ भौतिक रूप में और कोई लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशानिदेशों के अनुपालन के लिए विनियमित संस्थाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए एक विशेष समय-सीमा का अलग से उल्लेख किया गया है। तथापि, रिजर्व बैंक समय सीमा के पालन में वास्तविक कठिनाइयों वाले मामले में अनुपालन की तारीख बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

जमा प्रमाण-पत्रों का निर्गम

5.24 अप्रैल 2002 में घोषित वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य के अनुपालन में फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एशोसिएशन (एफआईएमएमडीए) ने 20 जून 2002 को जमा प्रमाण-पत्र के निर्गम के प्रयोजन से मानकीकृत प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए। द्वितीयक बाजार लेनदेनों

⁴ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / राज्य सहकारी बैंक / प्राथमिक व्यापारी / एफआई में।


⁵ राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि. (एनएनडीएल) / केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)।

को और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान बकाया जमा प्रमाण-पत्रों को अक्टूबर 2002 तक अभौतिक रूप में बदलना अपेक्षित था। वर्तमान विनियमों में जमा प्रमाण-पत्र अंकित मूल्य पर बढ़ा पर जारी करना अपेक्षित था तथा निर्गमकर्ता बैंक को बढ़े की दर निर्धारित करने की छूट है। जमा प्रमाण-पत्रों के मूल्यन में अधिक लचीलापन प्रदान करने तथा निवेशकों और निर्गमकर्ताओं दोनों को अतिरिक्त विकल्प देने के दृष्टिकोण से बैंक और वित्तीय संस्थान अस्थायी दर के आधार पर जमा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं बशर्ते अस्थायी दर अभिकलन की प्रक्रियाविधि वस्तुपरक, पारदर्शी और बाजार आधारित हो। अस्थायी दर जमा प्रमाण-पत्र पर ब्याज दर को समय-समय पर पूर्व निर्धारित फार्मूला के अनुसार निर्धारित करना होगा जो पारदर्शी बेंचमार्क पर अंतर (स्प्रेड) को इंगित करता है। इस संबंध में मानक प्रक्रिया और प्रलेख एफआइएमएमडीए द्वारा अलग से बाजार प्रतिभागियों के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

5. परिचालनों की समीक्षा

वित्तीय सहायता : स्वीकृत और संवितरित

5.25 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं⁶ द्वारा 1996-2000 के दौरान स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 2001-02 के दौरान विपर्यस्त हो गयी तथा 2002-03 के दौरान तीव्र अधोगामी प्रवृत्ति जारी रही (चार्ट V.2 और सारणी V.2)। आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक के साथ विलय भी वित्तीय



सहायता में कमी को कुछ हद तक स्पष्ट करता है। तथापि, अप्रैल-सितम्बर 2003 के दौरान स्वीकृति और संवितरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

5.26 स्वीकृतियां और संवितरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दी गयी सकल वित्तीय सहायता आती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संदर्भ में दी गयी सहायता सम्मिलित है : परियोजना ऋण, उद्यम पूंजी निधि ऋण, हामीदारी,

सारणी V.2 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(वर्ष : अप्रैल-मार्च)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थान	2001-02		2002-03		प्रतिशत घट-बढ़ के दौरान	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
क. अखिल भारतीय विकास बैंक (आइडीबीआई, आइएफसीआई, सिडबी, आइआइबीआई, आइडीएफसी)	27,619	20,725	19,335	14,501	-30.0	-30.0
ख. विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थान (आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआई)	873	869	475	490	-45.6	-43.6
ग. निवेश संस्थान (एलआइसी, यूटीआई, जीआइसी #)	9,363	11,668	6,200	8,112	-33.8	-30.5
घ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा कुल सहायता (क+ख+ग)	37,855	33,262	26,010	23,103	-31.3	-30.5

: जीआइसी तथा इसकी पूर्व सहायक कंपनी के आंकड़े सम्मिलित हैं।
 स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान तथा यूटीआई के लिए आइडीबीआई।

⁶ आइडीबीआई, आइएफसीआई, आइआइबीआई, आइडीएफसी, आइसीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर टीएफसीआई, एलआइसी, यूटीआई और जीआइसी सम्मिलित हैं।

प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटी, गैर-परियोजना वित्त, पुनर्वित्त, बिलों की पुनर्भुनाई, प्रत्यक्ष बट्टा देना, वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बाण्डों के प्रति ऋण और अभिदान तथा लीजिंग कंपनियों को ऋण। इससे ऐसे नियोजित निवेशों के फलीभूत होने के संदर्भ में निवेश परिवेश का निर्माण होता है। भारतीय कंपनियों के लिए परियोजना वित्त के वैकल्पिक स्रोतों के अस्तित्व के कारण तथा आर्थिक मंदी को देखते हुए नए व्यवसाय की कमी को दर्शाते हुए हाल के वर्षों में वित्तीय संस्थाओं से, संसाधनों के निवल प्रवाह में कुछ कमी आयी है। निदर्शात्मक रूप से अखिल भारतीय विकास बैंकों से कंपनी क्षेत्र को संसाधनों का निवल प्रवाह 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों के लिए ऋणात्मक रहा (सारणी V.3)।

5.27 वित्तीय संस्थाओं के निष्पादन में कमी वित्तपोषण के स्वरूप में वित्तीय संस्थाओं के घटते हुए योगदान के अनुरूप है। इसके बावजूद पूंजी बाजार में मंदी, नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी तथा उपयोग न की गयी क्षमताओं के उपयोग के जरिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि - इन सभी के कारण दीर्घावधि वित्तीय सहायता की मांग

सारणी V.3 : अखिल भारतीय विकास बैंकों ने कंपनी क्षेत्र को संसाधनों का प्रवाह* *

(करोड़ रुपए)

मद	2001-02	2002-03
1	2	3
स्वीकृतियां	27,619	19,335
संवितरण	20,725	14,501
ऋण	-4,706	-5,321
<i>जिसमें से:</i>		
संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक/शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों में निवेश	762	-1,105
संबंधित प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम	-4,571	-2,960
विनिमय बिल तथा भुनाए गए और दुबारा भुनाए गए वचन-पत्र	-897	-1,256

* आइडीबीआई, आइएफसीआई, आइडीएफसी, आइआईबीआई और सिडबी सम्मिलित है।

निम्नतर रही है। परियोजना वित्त के क्षेत्र में, जो वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख कार्य है, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका कुछ कम हुई है (बॉक्स V.3)।

बॉक्स V.3: परियोजना वित्तपोषण में वित्तीय संस्थानों की घटती हुई भूमिका

परियोजना वित्तपोषण वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख कार्यकलाप है। यह प्रत्यक्ष वित्त का एक घटक है तथा वित्तीय संस्थाओं की कुल स्वीकृतियां और संवितरण में इसका पर्याप्त हिस्सा है। तथापि, वित्तीय उदारीकरण के कारण बैंक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने लगे हैं। इस प्रकार वे वित्तीय संस्थाओं के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। 2002-03 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (बीमा संस्थाओं सहित परंतु यूटीआई को छोड़कर) द्वारा परियोजना वित्तपोषण के लिए स्वीकृत सहायता में तीव्र गति से कमी आयी। ऐसी ही प्रवृत्ति संवितरण में भी देखी गयी।

निधि के रियायती स्रोतों की समाप्ति तथा एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वताओं वाली अल्पावधि निधियों को एकत्र करने पर रोक के कारण वित्तीय संस्थान अपेक्षाकृत अल्पविकसित दीर्घावधि ऋण बाजार से सीधे उच्च लागत की निधि एकत्र करने के लिए मजबूर हुए। विश्वसनीय निवेश (ब्यूचिप) वाली कंपनियों औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन सीधे पूंजी बाजार से और कम लागत पर एकत्र कर सकती थीं। इस प्रकार, वित्तीय संस्थानों ने अधिकांशतः अधिक जोखिम वाली औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जो बाजार से सीधे निधि उगाहने में सक्षम नहीं थी। अन्य तथ्यों में, वित्तीय संस्थाओं ने कम आय वाली तथा लंबे निर्माण अवधि वाली बड़ी बुनियादी सुविधावाली परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। बुनियादी सुविधा और मुख्य क्षेत्र निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोले जाने के फलस्वरूप प्रत्याशित अवसरों के कारण इन क्षेत्रों को ऋण देने में शुरू में वृद्धि हुई। चूंकि वित्तीय संस्थान दीर्घावधि में औद्योगिक

परियोजनाओं को ऋण देने के लिए केवल निर्धारित उच्च ब्याज दरों पर ही संसाधन एकत्र कर सकते थे इसलिए इस अवधि में घटते हुए ब्याज दरों के कारण उनका परिचालन वहनीय नहीं रहा।

जैसा कि सारणी 'क' में देखा जा सकता है, परियोजनाओं के वित्तपोषण में इक्विटी पूंजी (अधिमानी पूंजी सहित) के हिस्से में नब्बे के दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार इसी अवधि के दौरान परियोजनाओं के वित्तपोषण में ऋणों और बाण्डों/ डिबेंचरों का समग्र हिस्सा कम हुआ।

घटकवार, परियोजनाओं के कुल ऋण वित्तपोषण में यह देखा गया है कि विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) का हिस्सा नब्बे के दशक के दौरान कम हो गया जबकि बैंकों का हिस्सा 1985-90 की अवधि के कम स्तर से बढ़कर 1995-2001 के दौरान दुगुना से अधिक हो गया तथा उसके द्वारा बैंक परियोजना वित्तपोषण में वित्तीय संस्थाओं से आगे निकल गए। इस प्रकार, डीएफआई परियोजना वित्तपोषण के अपने मुख्य कारोबार में बैंकों तथा पूंजी बाजार से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि डीएफआई को अपेक्षाकृत 3-4 वर्ष की लघुतर अवधि के लिए बाजार से उधार लेकर लंबी निर्माण अवधि वाली परियोजना में निवेश करना होता था, इसलिए परियोजना में निविष्ट निधि उनके नकदी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई तथा इसके फलस्वरूप आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता में और असंगति उत्पन्न हो गयी।

सारणी क : परियोजना वित्त में विभिन्न स्रोतों का हिस्सा

(कुल परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में)

अवधि	कंपनियों की संख्या	इक्विटी	प्रारक्षित भण्डार और अधिशेष	ऋण	बाण्ड/ डिबेंचर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1970-71 से 1974-75	356	28.5	12.2	53.5	4.4	1.4
1975-76 से 1979-80	408	32.0	5.1	59.8	0.9	2.2
1980-81 से 1984-85	1,554	26.9	8.3	49.2	14.1	1.5
1985-86 से 1989-90	1,620	41.4	1.6	30.0	26.2	0.8
1990-91 से 1994-95	2,040	47.0	1.9	43.4	7.1	0.6
1995-96 से 2000-01	1,012	53.0	0.3	43.0	3.4	0.3

टिप्पणी : आंकड़े विवरणिका जारी करनेवाले सभी गैर-वित्तीय और गैर-सरकारी कंपनियों के हैं।
 स्रोत : कंपनी कार्य विभाग वित्त मंत्रालय : भारत सरकार

इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक, कम लागत की निधियों तक पहुँच के कारण उनकी देयताओं की सापेक्षिक तौर पर कम परिपक्वता अवधि को देखते हुए, वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम दर पर उधार दे सके। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी नई वित्तीय सहायता की मांग को भी रोक सकती है। और, अभी हाल में सेवा क्षेत्र में तेजी से हुई वृद्धि, परियोजना वित्त के लिए समान मांग उत्पन्न नहीं कर सकी क्योंकि अधिकतर सेवा उद्योग मानव पूंजी प्रधान है जिसमें दीर्घकालीन वित्त की सीमित आवश्यकता है। वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और निवेश संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता में गत वर्ष की तुलना में और कमी दिखाई दी (परिशिष्ट सारणी V.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं का स्वरूप

5.28 एक समूह के रूप में, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र ने गत वर्ष की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। लेकिन देयताओं का स्वरूप मोटे तौर पर गत वर्ष के समान ही रहा। कुल में बांड / डिबेंचर का बड़ा हिस्सा था क्योंकि काल / पुट ऑप्शन्स के साथ बांड / डिबेंचर अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं तथा शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के रूप में गौण बाजार में व्यापार योग्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। ब्याज दर उदारीकरण और ब्याज दर खास कर जमा दर सामान्यतः कम करने के कारण वित्तीय संस्थाओं की जमा बढ़ी है जब कि वर्ष के दौरान उधार लेने के अंश में गिरावट आयी (सारणी V-4)।

5.29 उसी प्रकार से आस्तियों की संरचना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। ऋण और अग्रिमों के प्रमुख घटक अपने हिस्से में मामूली कमी दर्ज की, जो ऋण और अग्रिम की मंजूरी तथा संवितरण में आयी गिरावट से परिलक्षित होती है। चूँकि 2002-03 के एक बड़े हिस्से के दौरान पूंजी बाजार की गतिविधियां धीमी बनी रहीं अतः निवेश के अंश में मामूली कमी आयी (सारणी V.4)।

निधियों के स्रोत और प्रयोग

5.30 वित्तीय कंपनियों (आइसीआइसीआइ को छोड़कर) की निधियों के कुल स्रोत और विनियोजन ने, गत वर्ष में हुई 19.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2002-03 के दौरान 2.1 प्रतिशत की कमी हुई। प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि और कम ब्याज दर के परिवेश के जारी रहने के कारण, वर्ष के दौरान बाहरी निधियों पर निर्भरता बढ़ी। कुल में आंतरिक स्रोतों का अंश कुल संसाधनों के आधे पर बना रहा यद्यपि गत वर्ष की तुलना में इसके अंश में गिरावट आयी (सारणी V.5)।

5.31 2002-03 की उत्तरवर्ती अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण, निधियों के कुल प्रयोग में नए नियोजन के अंश में वृद्धि परिलक्षित हुई। ब्याज दर में कमी का लाभ उठाते हुए वित्तीय संस्थाओं ने उच्च लागत वाले पुराने ऋणों को वापस कर दिया और उसके स्थान पर सस्ता ऋण लिया, बावजूद इसके कि 2002-03 के दौरान उधार की चुकौती का अंश गत वर्ष में हुई वृद्धि की तुलना में कम

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं की देयताओं और आस्तियों का स्वरूप

(राशि करोड़ रूप में)

मद	मार्च के अंत तक बकाया		वितरण (प्रतिशत)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
देयताएं	1,73,900	1,83,751	100.0	100.0
पूँजी	6,811	6,784	3.9	3.7
प्रारक्षित निधि	16,836	18,259	9.7	9.9
बांड और डिबेंचर	83,595	89,639	48.1	48.8
जमा	15,088	20,144	8.7	11.0
उधार	24,400	21,862	14.0	11.9
अन्य देयताएं	27,170	27,063	15.6	14.7
आस्तियां	1,73,900	1,83,751	100.0	100.0
नकदी	5,628	8,014	3.2	4.4
निवेश	21,671	21,760	12.5	11.8
ऋण और अग्रिम	1,31,510	1,36,823	75.6	74.5
भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	2,987	1,606	1.7	0.9
अचल आस्तियां	3,226	2,988	1.9	1.6
अन्य आस्तियां	8,878	12,560	5.1	6.8

टिप्पणी : आंकड़ों में आइडीबीआई, आइएफसीआई, आइआइबीआई, आइडीएफसी, टीएफसीआई, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी शामिल है।
 स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था के तुलन पत्र।

सारणी V.5 : वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत और नियोजन का स्वरूप *

(राशि करोड़ रुपये में)

निधि का स्रोत / नियोजन	2001-02		2002-03	
	राशि	अंश (प्रतिशत)	राशि	अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
निधियों के	97,613	100.0	95,562	100.0
आंतरिक	51,241	52.5	49,048	51.3
बाहरी	28,438	29.1	32,280	33.8
अन्य स्रोत	17,934	18.4	14,234	14.9
निधियों का नियोजन	97,613	100.0	95,562	100.0
नये नियोजन	48,289	49.5	52,028	54.4
पुराने उधारों की चुकौती	20,815	21.3	17,478	18.3
अन्य नियोजन	28,509	29.2	26,056	27.3
जिनमें से: ब्याज का भुगतान	14,222	14.6	10,733	11.2

* वित्तीय संस्थाओं में आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी शामिल हैं। टिप्पणी : अंश से तात्पर्य उस श्रेणी के कुल प्रतिशत से है।

रहा। ब्याज भुगतानों में कमी के कारण अन्य नियोजनों में भी कमी आई। 2002-03 के दौरान पिछले उधारों और ब्याज भुगतान की चुकौती का सम्मिलित अंश निधियों के बाहरी स्रोतों के अंश से अधिक है। इसका अर्थ यह निकलता है कि निधियों के आंतरिक अथवा अन्य स्रोतों का प्रयोग विगत में उच्च लागत पर लिए गए उधारों की चुकौती करने के लिए किया जा रहा है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां

5.32 वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक कार्यकलाप में मामूली वृद्धि और चालू वर्ष में कुछ वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय पुनर्निर्धारण के कारण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में मामूली वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष आर्थिक कार्यकलाप की गति कम थी। संस्था-वार देखा जाए तो एक्जिम बैंक ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की, उसके बाद एनएचबी, आइडीएफसी, नाबार्ड और आइएफसीआइ ने वृद्धि दर्ज की जबकि आइडीबीआइ ने अधिकतम गिरावट दर्ज की [परिशिष्ट सारणी V.3 (अ)]। पिछले वर्ष की तुलना में 2002-03 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सकल वित्तीय आस्तियों की वृद्धि की गति बढ़ गयी। बैंकों की वित्तीय आस्तियों में हुई वृद्धि वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अधिक तीव्र थी जिसके परिणामस्वरूप कुल आस्तियों में बैंकों के अंश में मामूली वृद्धि हुई [सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.3 (आ)]।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन ।

5.33 मार्च 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक समूह के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में और गिरावट आयी जिसका कारण है विस्तार और

सारणी V.6: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय आस्तियां *

(राशि करोड़ रुपये में)

1	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		2002-03 दौरान घट-बढ़
	2002	2003	
1	2	3	4
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	1,70,247	1,82,223	11,976 (7.0)
आ. अनुसूचित वाणिज्य बैंक #	12,23,008	13,98,967	1,75,959 (14.4)
इ. कुल (अ+आ)	13,93,255	15,81,190	1,87,935 (13.5)
<i>ज्ञापन :</i>			
	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां	12.2	11.5
	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियां	87.8	88.5

* इसमें निवेश, ऋण और अग्रिम, मुद्रा बाजार आस्तियां, जमा, हाथ में नकदी और बैंक के पास शेष तथा अचल आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार और हाथ में नकदी तथा बैंकिंग प्रणाली के पास शेष, निवेश, बैंक ऋण एवं बैंकों से देयताओं सहित। अतएव इसमें गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, विदेशी मुद्रा आस्तियां और बैंक आरक्षित निधि शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत परिवर्तन के हैं।

ब्याज से इतर आय में हुई गिरावट तथा अन्य खर्चों में हुई वृद्धि। वर्ष के दौरान आइएफसीआइ और आइआइबीआइ ने हानि दर्ज की। तथापि, इन दो संस्थाओं को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं ने सकारात्मक परिचालन और निवल लाभ दर्ज किया। यह नोट करने लायक है कि विस्तार और परिचालन लाभ में गिरावट के होते हुए भी कर प्रावधानों में तीव्र गिरावट करके सभी वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में वृद्धि प्राप्त की गयी (सारणी V.7)। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्तीय

सारणी V.7: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन@

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2001-02	2002-03	2002-03 के दौरान घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	17,206	15,822	-1,383	-8.0
क) ब्याज आय	14,391	13,194	-1,197	-8.3
ख) ब्याजरहित आय	2,815	2,628	-187	-6.6
2. व्यय	14,443	13,182	-1,261	-8.7
क) (क + ख)	13,284	11,825	-1,459	-11.0
ख) अन्य व्यय	1,159	1,358	198	17.1
जिसमें से : वेतन बिल	404	391	-13	-3.2
ग)कराधान के लिए प्रावधान	1,501	947	-553	-36.9
3. लाभ				
परिचालन लाभ	2,763	2,640	-122	-4.4
निवल लाभ	1,262	1,693	431	34.2
4. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
परिचालन लाभ	1.6	1.4		
निवल लाभ	0.7	0.9		
ब्याज आय	9.9	8.6		
अन्य आय	8.3	7.2		
अन्य आय	1.6	1.4		
व्यय	8.3	7.2		
ब्याज व्यय	7.6	6.4		
अन्य परिचालन व्यय	0.7	0.7		
वेतन बिल	0.2	0.2		
प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.9	0.5		
अंतर (निवल ब्याज आय)	0.6	0.7		

* आइडीबीआई, आइएफसीआई, आइआइबीआई, टीएफसीआई, आइडीएफसी, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. एनएचबी के मामले में निवल लाभ से आइएफआर को किये गये अंतरण घटाये गये हैं।


2. निवल लाभ से आशय है कराधान के बाद लाभ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था के वार्षिक लेखे।

संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि 2000-01 से अतिरिक्त वित्तीय मानदंड लगाए (परिशिष्ट सारणी V.4)। आइएफसीआई ने औसतन आस्तियों पर प्रतिलाभ और प्रति कर्मचारी निवल लाभ में कुछ सुधार दर्ज किया परन्तु उनके अनुपात ऋणात्मक ही रहें।

वित्तीय संस्थाओं का शेयरों/स्टॉकों का कार्यानिष्पादन

5.34 रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत जो नौ वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें से दो वित्तीय संस्थाएं (अर्थात आइडीबीआई और आइएफसीआई) राष्ट्रीय शेयर बाजार और शेयर बाजार, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। आइडीबीआई और आइएफसीआई के शेयरों का कार्यानिष्पादन 2002-03 के दौरान कुछ मन्द ही रहा। तथापि, अप्रैल 2003 से इन दो वित्तीय संस्थाओं के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसका कारण है सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं के लिए प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था पैकेज और वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के शेयर मूल्य में सामान्य रूप में बढ़े विश्वास से मिला समर्थन (चार्ट V.3)।



मूल उधार दर

5.35 वर्ष 2002-03 के दौरान सामान्य ब्याज दर में आयी गिरावट की प्रवृत्ति के अनुसार ही आइडीबीआई की दीर्घावधि मूल उधार दर में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गिरावट आयी। तथापि, आइडीबीआई की मध्यावधि और अल्पावधि मूल उधार दर अपरिवर्तित रही। आइएफसीआई के मामले में दीर्घावधि और अल्पावधि मूल उधार दरें अपरिवर्तित रहीं (सारणी V.8)।

पूँजी पर्याप्तता

5.36 जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (सीआरएआर) के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के संबंध में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन से यह स्पष्ट होता है कि आइएफसीआई और आइआइबीआई को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं ने 2002-03 के दौरान 9 प्रतिशत के मानदंड से अधिक सीआरएआर रखा। हाल के वर्षों में आइएफसीआई को चुकौतियों के बढ़ते भार तथा साथ ही उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों और परिणामतः हो रही वित्तीय हानि के कारण भारी प्रावधानन की पूर्ति करने की अनिवार्यता से उत्पन्न आस्ति-देयता के असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी घटकों के कारण आइएफसीआई की पूँजी का ह्रास हुआ है। साथ ही रेटिंग एजेंसियों द्वारा आइएफसीआई को कम दर्जा दिये जाने के कारण लागत-प्रभावी पद्धति से संसाधन जुटाना कठिन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, शेरों के नये निर्गम के माध्यम से पूँजी जुटाना कठिन हो गया है। इस समस्या की तीव्रता को कम करने और उसकी पूँजी बढ़ाने के लिए सरकार ने पूँजी पुनर्संरचना पैकेज की पहल की है। आइआइबीआई के मामले में उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयन और परिणामतः किये गये प्रावधानीकरण के साथ घटती लाभप्रदता की समस्या के कारण उसके सीआरएआर में तीव्र गिरावट आयी (सारणी V.9)।

गैर-निष्पादक आस्तियां

5.37 वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि हुई। इसके दो कारण रहे अर्थव्यवस्था

सारणी V.8: मुख्य वित्तीय संस्थाओं की उधार की ब्याज दर का ढांचा

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

निम्नलिखित से प्रभावी	पीएलआर	आइडीबीआई	आइएफसीआई
1	2	3	4
मार्च 2001	दीर्घावधि पीएलआर मध्यावधि पीएलआर अल्पावधि पीएलआर	14.0 12.5 12.5	13.0 — 12.5
जुलाई 2001	दीर्घावधि पीएलआर मध्यावधि पीएलआर अल्पावधि पीएलआर	13.1 12.5 12.0	13.0 — 12.5
मार्च 2002	दीर्घावधि पीएलआर मध्यावधि पीएलआर अल्पावधि पीएलआर	11.5 12.5 12.0	12.5 — 12.5
जुलाई 2002	दीर्घावधि पीएलआर मध्यावधि पीएलआर अल्पावधि पीएलआर	10.7 12.5 12.0	12.5 — 12.5
मार्च 2003	दीर्घावधि पीएलआर मध्यावधि पीएलआर अल्पावधि पीएलआर	10.2 12.5 12.0	12.5 — 12.5

टिप्पणी: ब्याज दर में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, ब्याज दर शामिल नहीं है। पीएलआर : मूल उधार दर

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

में धीमा सुधार और क्षेत्रीय अवरोध (जैसे समय और लागत की अत्यधिकता)। पुनर्वित्तपोषण करनेवाली कुछ संस्थाओं के मामले में जैसी कि अपेक्षा की गयी थी, निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में हुई वृद्धि सीमित रही। तथापि, निवल ऋण और अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक आस्ति के अनुपात के अनुसार आइआइबीआई, आइएफसीआई और टीएफसीआई जैसी मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं का कार्य-निष्पादन चिंता का विषय रहा (सारणी V.10 और परिशिष्ट सारणी V.5)।

चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाण्ड / डिबेंचर के माध्यम से संसाधन संग्रहण

5.38 वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचर (निजी स्थानन और सार्वजनिक

सारणी V.9 : चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूँजी पर्याप्तता अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आइडीबीआई	14.7	13.7	12.7	14.5	15.8	17.9	18.72
2. आइएफसीआई	10.0	11.6	8.4	8.8	6.2	3.1	-2.95
3. आइआइबीआई	10.6	12.8	11.7	9.7	13.9	13.6	3.51
4. आइडीएफसी	अनु.	अनु.	235.5	119.7	85.5	56.9	57.13
5. एक्जिम बैंक	31.5	30.5	23.6	24.4	23.8	33.1	26.92
6. टीएफसीआई	अनु.	16.4	15.4	16.2	18.6	18.5	20.85
7. सिडबी	31.5	30.3	26.9	27.8	28.1	45.0	43.92
8. नाबार्ड	40.4	52.5	53.3	44.4	38.5	36.9	41.59
9. एनएचबी	अनु.	16.7	17.3	16.5	16.8	22.1	22.29

अनु. : अनुपलब्ध।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.10 : निवल गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए)*

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	निवल एनपीए		निवल एनपीए / निवल ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं	11,372	14,297	15.0	18.8
1. आइडीबीआई	6,355	7,157	13.4	15.8
2. आइएफसीआई	3,873	5,983	22.5	34.8
3. आइआइबीआई	539	819	24.1	40.3
4. एक्जिम बैंक	448	184	7.4	2.2
5. टीएफसीआई	157	152	20.2	20.5
6. आइडीएफसी	—	3	0.0	0.1
पुनर्वित्तपोषण करनेवाली वित्तीय संस्था	382	473	0.7	0.7
7. सिडबी	382	473	3.0	3.8
8. नाबार्ड	—	—	—	—
9. एनएचबी	—	—	—	—
कुल	11,754	14,770	8.8	10.6

* प्रावधान और बट्टे खाते को छोड़कर

निर्गम सहित) जारी करने के माध्यम से जुटाये गये कुल संसाधनों में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण है आइडीबीआई, एक्जिम बैंक और एनएचबी द्वारा लिये गये भारी उधार। कुछ वित्तीय संस्थाओं ने अपने उच्च लागत के उधार चुकाने के लिए 'काल आप्शान्स' का प्रयोग किया। आवास क्षेत्र में बढ़ती मांग के साथ एनएचबी ने अपने पुनर्वित्तपोषण के कार्यों के लिए पर्याप्त निधि जुटायी। इसी तरह से एक्जिम बैंक द्वारा जुटाये गये संसाधनों में तीव्र वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, कुल बकाया में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर दर से वृद्धि हुई (सारणी .V.11)। जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, अन्तर्कम्पनी जमा

(आइसीडी) जैसे अन्य लिखतों, मीयादी मुद्रा उधार में इसी तरह की वृद्धि देखी गयी (परिशिष्ट सारणी V.6)।

5.39 चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये कुल संसाधनों में मुख्य अंश निजी स्थानन का ही रहा। निजी स्थानन सापेक्षतः कम महंगा और कम समय लेनेवाला होता है। तथापि, 2002-03 के दौरान निजी स्थानन के अंश में गिरावट आयी जिसका कारण है सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से बाजार में प्रवेश करनेवाली एकमात्र वित्तीय संस्था आइडीबीआई द्वारा किये गये बड़े सार्वजनिक निर्गम (सारणी V.12)।

सारणी V.11 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचर के माध्यम से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	जुटाये गये संसाधन (वर्ष के दौरान)		बकाया (मार्च के अंत में)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
आइडीबीआई	4,213	5,009	45,464	45,280
आइआइबीआई	551	150	1,807	1,468
आइएफसीआई	651	267	19,789	20,046
टीएफसीआई	48	93	689	632
एक्जिम बैंक	625	2,505	3,067	5,424
आइडीएफसी	250	400	1,000	1,400
सिडबी	1,224	961	3,020	2,498
नाबार्ड	2,549	2,988	6,078	8,703
एनएचबी	238	1,877	3,003	4,675
कुल	10,349	14,250	83,917	90,126

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.12: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाण्डों / डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम / निजी स्थानन के माध्यम से जुटाये गये संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय संस्था	बाण्ड / डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम		बाण्ड / डिबेंचरों का निजी स्थानन		कुल	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आइडीबीआई	654	2,825	3,559	2,184	4,213	5,009
आइएफसीआई	0	0	651	267	651	267
आइआइबीआई	0	0	551	150	551	150
आइडीएफसी	0	0	250	400	250	400
टीएफसीआई	0	0	48	93	48	93
एक्विजम बैंक	0	0	625	2,505	625	2,505
एनएचबी	0	0	238	1,877	238	1,877
सिडबी	0	0	1,224	961	1,224	961
नाबार्ड	0	0	2,549	2,988	2,549	2,988
कुल	654	2,825	9,695	11,425	10,349	14,250
	(6.3)	(19.8)	(93.7)	(80.2)	(100.0)	(100.0)

आंकड़े अनंतिम हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष के दौरान जुटाये गये कुल संसाधनों में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था।

5.40 विभिन्न परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में आयी गिरावट के साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिस भारित औसत ब्याज दर पर रुपया बाण्ड / डिबेंचरों के माध्यम से संसाधन जुटाये गये उसमें भी गिरावट आयी (सारणी V.13 और परिशिष्ट सारणी V.7)। वित्तीय संस्थाओं के लिखतों में भारित औसत परिपक्वता के मामले में ऐसी सामान्य प्रवृत्ति नहीं पायी गयी।

वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा बाजार परिचालन

5.41 पूर्णतः अंतर बैंक मांग / नोटिस मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने की दृष्टि से 19 अप्रैल 2001 को वर्ष 2001-02 की मौद्रिक और ऋण नीति में यह घोषित किया गया था कि इस बाजार में परिचालन के लिए बैंकेतर संस्थाओं अर्थात् वित्तीय संस्थाओं, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों की पैठ को क्रमशः चार चरणों में कम किया जायेगा। तदनुसार, चरण I के रूप में उन्हें 2000-01 के दौरान उनके द्वारा

सारणी V.13 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचरों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की भारित औसत लागत/परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
आइडीबीआई	10.3	8.4	4.3	2.8
आइआइबीआई	12.9	12.8	6.4	7.0
आइएफसीआई	11.1	6.8	8.7	5.1
टीएफसीआई	10.5	10.1	7.0	8.5
एक्विजम बैंक	10.8	8.9	6.4	6.1
आइडीएफसी	9.0	7.6	5.0	5.6
सिडबी	7.5	6.6	1.0	2.3
नाबार्ड	8.0	6.1	2.6	3.2
एनएचबी	8.7	6.4	7.4	4.0

आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था।

औसतन दिये गये उधार के 85 प्रतिशत उधार देने के लिए अनुमति दी गयी। उसके बाद 14 जून 2003 से चरण II के भाग के रूप में बैंकेतर संस्थाओं को सूचना देने के लिए नियत पखवाड़े में 2000-01 के दौरान उनके द्वारा दिये गये औसतन उधार के औसतन 75 प्रतिशत तक उधार देने के लिए अनुमति दी गयी है। तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं के संबंध में बारह वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् यूटीआइ, एलआइसी, आइडीबीआइ, नाबार्ड, जीआइसी, एक्विजम बैंक, एनएचबी, सिडबी, आइआइबीआइ, ईसीजीसीआइ, आइएफसीआइ और टीएफसीआइ) जिन्हें मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने के लिए अनुमति दी गयी है, की प्रभावी सीमा अब 2,749 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं से दिये जानेवाले औसत दैनिक उधार में, वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक, गिरावट आयी है। 27 दिसंबर 2003 से शुरु हो रहे पखवाड़े से गैर-बैंकों को वर्ष 2000-01 के दौरान मांग/सूचना मुद्रा बाजार में उनके औसत दैनिक उधार के 60 प्रतिशत तक किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत आधार पर उधार देने की अनुमति दी जाएगी।

5.42 वर्ष 2002-03 के दौरान एक प्रमुख बीमा कंपनी ने अप्रत्याशित भारी आगम को ध्यान में रखकर मांग / सूचना मुद्रा बाजार में अधिक पैठ के लिए अनुरोध किया था और रिजर्व बैंक ने सीमित अवधि के लिए अनुमति दी थी।

5.43 नौ संस्थाओं अर्थात् आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, एक्विजम बैंक, सिडबी, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, आइडीएफसी और एनएचबी को उनके अपने अद्यतन लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के शत-प्रतिशत के समकक्ष संसाधन जुटाने के लिए यथापेक्षित (अम्ब्रेला) सीमाएं दी गयी हैं। रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें मीयादी मुद्रा, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक

पत्र जारी करने, सावधि जमा और अन्तर्कम्पनी जमा स्वीकार करने (जहां कहीं लागू हो) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए अनुमति दी गयी है।

5.44 वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन लिखतों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की औसतन सकल राशि 2001-02 के 10,081 करोड़ रुपये (सीमाओं के 32.9 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2002-03 में (सारणी V.14) 6,472 करोड़ रुपये सीमाओं के 25.6 प्रतिशत हो गयी। अन्तर्कम्पनी जमा और मीयादी जमा अधिक पसंदीदा लिखते बने रहे तथा उसके बाद वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक जमा और सावधि जमा को पसंद किया गया।

5.45 वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन लिखतों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की औसतन समग्र राशि में 2003-04 की पहली छमाही में और गिरावट आयी।

वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता

5.46 वर्ष 2002-03 (जुलाई-मार्च) के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था को दीर्घावधि के लिए सहायता मंजूर नहीं की गयी। जून 2003 के अंत में जहां राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि के अंतर्गत किसी संस्था का कोई दीर्घावधि उधार बकाया नहीं था वहीं जून 2003 के अंत में राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि के अंतर्गत एनएचबी को देय बकाया ऋण की राशि 175 करोड़ रुपये थी (सारणी V.15)। रिजर्व बैंक द्वारा 2002-03 के दौरान राज्य वित्तीय निगमों को संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बाण्डों की जमानत पर बैंक दर पर दो वर्ष से न्यून अवधि के लिए मंजूर की गयी तदर्थ उधार सीमा की कुल राशि 166 करोड़ रुपये थी।

सारणी V.14 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा बाजार परिचालन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	लिखत	2002-03	2003-04	2002-03
1	2	3	4	5
I.	औसतन दिये गये उधार		(अक्टूबर 3 2003 तक)	(अक्टूबर 4 2002 तक)
	1. मांग / सूचना मुद्रा	2,508	1,903	2,763
II.	औसतन लिये गये उधार		(सितम्बर 5 2003 तक)	(सितम्बर 6 2002 तक)
	1. सावधि मुद्रा	373	202	476
	2. सावधि जमा	1,548	2,253	1,183
	3. अंतर्कम्पनी जमा	3,078	1,760	4,193
	4. जमा प्रमाणपत्र	504	397	519
	5. वाणिज्यिक पत्र	964	1,649	552
	कुल #	6,467	6,261	6,923

: आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है कि जोड़ में न खाए।

सारणी V.15 : वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता
(बकाया राशि करोड़ रुपये में)

सहायता का प्रकार	30 जून 2002	30 जून 2003
1	2	3
दीर्घावधि ऋण एनएचसी (एलटीओ) निधि एनएचबी	175.0	175.0
मध्यावधि / अल्पावधि ऋण राज्य वित्तीय निगम	30.8	17.0
कुल	205.8	192.0
टिप्पणियाँ : (1) दीर्घावधि ऋण (एनएचसी (एलटीओ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा दोनों वर्षों के लिए कोई सहायता नहीं दी गयी। (2) दोनों वर्षों के लिए आइडीबीआई को कोई मध्यावधि/अल्पावधि ऋण नहीं दिया गया।		

प्रौद्योगिक प्रगति में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

5.47 वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रतियोगी बैंक हैं जिनके पास शाखाओं का व्यापक नेटवर्क और विशेषतः अल्पावधि आस्तियों और देयताओं में विभिन्न संविभाग तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के भाग के रूप में सीमित जमा बीमा है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में लाभप्रदता का मुख्य निर्धारक - विस्तार अनुपात काफी महत्त्व रखता है। तथापि, बैंकों के तुलन-पत्र में अल्पावधि देयताओं की अधिकता आस्तिय देयता प्रबंध के विवेकपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार बैंकों को दीर्घावधि ऋण देने से रोकती है। बैंकों की तुलना में वित्तीय संस्थाएं न्यूनतम लेनदेन लागत पर निवेश ऋण देने के अनुकूल होती हैं।

5.48 वित्तीय संस्थाओं के विशेष समूह अर्थात् विकास वित्त संस्थाओं ने विशेष क्षेत्र अर्थात् प्रौद्योगिकी प्रगति में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान दिया है। जोखिम पूंजी निधि जैसी संस्थाओं की अनुपस्थिति में विकास वित्त संस्थाएं प्रौद्योगिकी नीति के साधन के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं क्योंकि वे जानकारी का निर्माण करने और अर्थव्यवस्था में उसे समामेलित करने को बढ़ावा देती हैं। विदेशी तथा साथ ही भारतीय अनुभव ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण है जिसमें विकास वित्तीय संस्थाओं ने प्रौद्योगिकी नवोन्मेष में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है (बाक्स V.4)।

6. वित्तीय संस्थाओं की पुनर्संरचना

5.49 विश्व भर में कई देशों में हाल के वर्षों में उनके परिचालनात्मक परिवेश में हुए परिवर्तन के कारण सरकार द्वारा स्थापित और समर्थित अधिकतर वित्तीय संस्थाओं का विशाखन/पुनर्संरचना की गयी है (बाक्स V.5)। दो मुख्य वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आइडीबीआई और आइएफसीआई लिमिटेड की वित्तीय देयताओं की वर्ष के दौरान भारत सरकार के हस्तक्षेप से पुनर्संरचना

की गयी ताकि इन वित्तीय संस्थाओं की निधि लागत में कमी की जा सके।

आइडीबीआई के लिए पुनर्संरचना पैकेज

5.50 भारत सरकार के तत्त्वावधान में आइडीबीआई की पुनर्संरचना के निष्पादन के भाग के रूप में इस बात पर मतैक्य हुआ कि वर्तमान निवेशों/बाण्डों की परिपक्वता पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक / वित्तीय संस्थाएं आइडीबीआई में प्रारंभिक निवेशों/बाण्डों की समान अवधि के लिए पुनर्निवेश कर सकती हैं। यह पुनर्निवेश, पुनर्निवेश के समय बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर होगा। आइडीबीआई उधार ली गयी अपनी वर्तमान राशि पर मूल रूप में संविदाकृत ब्याज दर पर ब्याज देना जारी रखेगा। तथापि, सरकार आइडीबीआई को संविदाकृत दर और 8 प्रतिशत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002

5.51 विकास वित्तीय संस्थाओं को या तो वाणिज्य बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में परिवर्तन के लिए नरसिंहम समिति की सिफारिश के बाद विकास वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की भूमिका और परिचालनों में सामंजस्य के लिए कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री एस.एच.खान) से आइडीबीआई को बैंक में परिवर्तित करने के लिए दिये गये सुझाव के कारण सरकार ने अपने 2002-2003 के बजट में आइडीबीआई को आगामी वर्ष में निगमित करने के लिए आवश्यक कानूनी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, लोकसभा में 4 दिसंबर 2002 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002 लाया गया।

5.52 निरसन विधेयक की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

- सरकार द्वारा नियत तारीख पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम निरस्त हो जायेगा और आइडीबीआई का उपक्रम 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड' नामक कंपनी को प्रदान किया जायेगा।
- नई कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी मानी जायेगी और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैंकिंग कारोबार करेगी तथा उसके लिए रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- साथ ही, नई कंपनी को नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने से छूट दी जायेगी।

बॉक्स V.4 : प्रौद्योगिक प्रगति में विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

प्रौद्योगिक नीति का उद्देश्य ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना आर्थिक विकास के लिए इसका उपयोग करना है। अक्सर एक उत्प्रेरक की विशेषकर, विकासशील राष्ट्रों में आवश्यकता होती है जो जारी प्रौद्योगिक उन्नति के लिए ज्ञान के सृजन को ज्ञान के वाणिज्यिकीकरण में बदल सके। विकास के प्रारंभिक चरण में फर्मों को ज्ञान की प्राप्ति, समावेशन, रूपांतरण और उपयोग हेतु सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

इस संदर्भ में विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिक उन्नति में शेयर बाजार आधारित (अमेरिका, ब्रिटेन) बनाम बैंक आधारित (जर्मनी, जापान) वित्तीय प्रणाली की सापेक्षिक गुणवत्ता पर दीर्घ काल से चल रही चर्चा को इस संदर्भ में अब आधार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका में सूचना तकनीक क्रांति की सफलता का श्रेय बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली को देते हुए कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि सूचना तकनीक विजेताओं का चुनाव करने में बैंक आधारित प्रणाली की तुलना में शेयर बाजार बेहतर है। तथापि, अन्य लोगों ने यह उल्लेख किया है कि सूचना प्रौद्योगिक के उन्नयन में शेयर बाजार न तो आवश्यक अथवा पर्याप्त शर्त है। विशेष रूप से विकासात्मक देशों को अविकसित शेयर बाजार से भुगतना पड़ता है जो किसी फर्म की मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया को अपर्याप्त बनाता है तथा यह फर्मों की वास्तविक दीर्घावधि लाभप्रदता को भी ठीक-ठीक प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

कई देशों में, विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि वे समय आने पर फर्मों की समावेशन क्षमता को नवोन्मेषी प्रौद्योगिक की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए विकसित कर सकें। दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे परियोजनाओं का विकास करें, प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि करें, उद्यमिता विकसित करें तथा तकनीकी

क्षमताओं के विकास में सहायता करें। सरकार, तकनीकी संस्थाओं एवं फर्मों के साथ निकट से कार्य करते हुए विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई वे प्रौद्योगिक नीति को प्रभावित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रौद्योगिक क्षमताओं का विकास नीति कार्यान्वयन के माध्यम से हो सके। कई विकासशील देशों में विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं ही उद्यम पूंजी के संगठित स्रोत हैं।

भारत में विकसित पूंजी बाजार के अभाव में विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं ही उद्योग के लिए अधिक आवश्यक दीर्घावधि वित्त का प्रमुख स्रोत थीं। उन्होंने प्रौद्योगिक विकास तथा नए उद्यम सृजन गतिविधियों के लिए सशर्त अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण उपलब्ध कराए। उद्यम पूंजी गतिविधि किसी विकासात्मक वित्तीय संस्था द्वारा ही शुरू की गई। विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं न फर्मों तथा तकनीकी संस्थानों के बीच संवाद के कार्यक्रम विकसित करते हुए तथा ऐसे संवाद (सारणी क) को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इसे प्रेरणा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई।

विकास वित्तीय संस्थाओं की संख्या में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के चलते कमी आने के साथ ही बैंकों के साथ-साथ पूंजी बाजार के नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र से यह आशा की जाती है कि वे वित्तीय सहायता को आगे लाने की आवश्यकता पर सावधानी बरतें। भारत सरकार, कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए उनके खराब वित्तीय कार्य-निष्पादन, बढ़ती हुई गैर-निष्पादक आस्तियां तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के लिए प्रतिकूल बाजार शर्तों को ध्यान में रखते हुए पुनर्संरचना पैकेजों के साथ आगे लाने में अनुकूल सक्रियता दिखा रही है। वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता को वापस लाने से यह आशा की जाती है कि जोखिम प्रतिलाभ रूपरेखा की संगति में परियोजना वित्त गतिविधियों की समय से पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

सारणी 'क' भारत में प्रौद्योगिक विकास में विकास वित्त संस्थाओं का समर्थन : एक उदाहरण

समर्थन	सिडबी	आइएफसीआई
मूलभूत सुविधा समर्थन	सामान्य सुविधाएं, जांच	विज्ञान तथा तकनीकी पार्को
प्रौद्योगिक ज्ञान समर्थन	गुणवत्ता कार्यक्रम	प्रौद्योगिक परामर्श, परियोजना रूपरेखा
सूचना समर्थन	अभिज्ञान कार्यमात्राएं, प्रौद्योगिक संस्थान - फर्म संवाद	बाजार सर्वेक्षण, अवसर की पहचान
खरीद समर्थन	कुछ कार्यक्रमों पर	प्रौद्योगिक स्रोत पहचान
बाजार समर्थन	गुणवत्ता कार्यक्रम, आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यक्रमों पर	बाजार सर्वेक्षण
आयोजना समर्थन	कुछ कार्यक्रमों पर	कुछ कार्यक्रमों पर
वित्तीय समर्थन	लघु उद्योगों को ऋण, जोखिम पूंजी, पर्यावरणीय निर्धीयन	परियोजना ऋण
प्रबंधकीय समर्थन	आधुनिकीकरण पैकेज	निदान-शास्त्र, चतुर्दिक सहायता
शैक्षणिक समर्थन	कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम	उद्यमिता विकास कार्यक्रम को समर्थन

संदर्भ :

एलन एफ (1993), "स्टॉक मार्केट्स एण्ड रिसोर्स एलोकेशन," इन सी मेयर एण्ड एक्स वीव्स (ईडीएस), कैपिटल मार्केट्स एण्ड फाइनेंसियल इंटरमेडिएशन, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

जॉर्ज जी. एण्ड जी.एन.एन. प्रभु (2003), "डेवलपमेंटल फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशनस एज टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन्स्ट्रूमेंट्स : इम्प्लीकेशन्स फॉर इनोवेशन एण्ड इंटरप्रेनरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स" रिसर्च पॉलिसी।

सिंह अजीत एण्ड बी वीसे (2001) "इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेन्चर कैपिटल एण्ड स्टॉक मार्केट" कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्किंग पेपर।

बॉक्स V.5 : विकास वित्तीय संस्थाओं के विदेशों में अनुभव

विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना (डीएफआइज) एक विशेष बाजार अपर्याप्तता; दीर्घावधि निवेश में कमी तथा बचतकर्ताओं एवं ऋणकर्ताओं के अभिजात जोखिम निवारण को हल करने के लिए की गई थी। बैंकों अथवा बाजारों के माध्यम से दीर्घावधि ऋण के अपर्याप्त प्रावधान की दृष्टि से इन संस्थाओं में से अनेक को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रायोजित किया गया। यद्यपि सरकार प्रायोजित इन संस्थाओं की शुरुआत फ्रांस की सन 1822 में स्थापित सोसायटी जनरल पॉवर फेवराइजर इंडस्ट्री नेशनल से हुई, लगभग दो दशक बीत जाने पर महाद्वीपीय यूरोपियन रेलवे विस्तार को वित्त प्रदान करने के लिए फ्रांस में सन 1848 में ऋण संग्राहक की स्थापना के साथ ही विकास बैंकिंग स्वतः अस्तित्व में आया। एशिया में भी, ऐसी संस्थाएं यथाशीघ्र 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित की गईं - जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण सन 1900 में इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान (आईबीजे) की स्थापना है। आईबीजे ने न केवल घरेलू पूंजी बाजारों के विकास में सहायता की बल्कि इसने जापान में औद्योगिक फर्मों के लिए संविभाग पूंजी प्राप्त करने में भी अपनी भूमिका निभाई।

विकास वित्तीय संस्थाएं, विशिष्ट अनुकूल औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने एवं बढ़ावा देने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए विशेष वित्तीय संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में आईं। अधिकांश देशों में सरकारें, दीर्घावधि औद्योगिक वित्त में अपेक्षा से कम निवेश की समस्याओं तथा विशेषज्ञता को अपेक्षा से कम संप्रेषणशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। औद्योगिक बैंकिंग तथा विकास बैंकिंग के बीच विभेद किया गया है। औद्योगिक बैंकिंग क जर्मन-जापानी मॉडल में बैंक, औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए सक्रिय उद्यमी भूमिका अपनाते हैं। इसके विपरीत एलो सॅक्सन मॉडल वित्तीय रूढ़िवादिता पर आधारित है लेकिन इसे विकासशील देशों में पूंजी बाजार के अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं की पहचान है। विकासशील देशों में विकास बैंकिंग संभाव्य उद्यमियों के लिए प्रतीक्षा की सकारात्मक भूमिका में प्रवृत्त होती है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए, जैसा कि जर्मनी और जापान में है, उनके पास वित्तीय अधिकार अथवा प्रौद्योगिक निष्पत्ता नहीं है।

विकास वित्तीय संस्थाएं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए सरकारी समर्थन के एक माध्यम अथवा किसी भी क्षेत्र (उदाहरणार्थ : जापान में बैंकिंग क्षेत्र में समस्याओं के उत्तर में समर्थन, राजकोषीय नीति के लिए माध्यम तथा मलेशिया में आर्थिक बदहाली से उबरने हेतु लक्ष्याधीन क्षेत्रों में निधि प्रवाह को दिशा देने, कोरिया और थाइलैण्ड में लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र (एसएमई) के लिए समर्थन) में समस्याओं के प्रभाव का सामना करने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। विकास वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा जारी किए गए बंध-पत्रों (उदाहरणार्थ : जापान, फ्रांस) गारंटीकृत अथवा हामीदारी द्वारा सरकारों से समर्थन प्राप्त है।

आर्थिक सहायता प्राप्त निधि के स्रोतों के समाप्त हो जाने तथा कई देशों में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के साथ विकास वित्तीय संस्थाएं पूर्णतः नए क्षेत्रों, जैसे

कि एसएमई क्षेत्र, मूलभूत सुविधाएं और आधार उद्योगों, औद्योगिक पुनर्गठन, विदेश व्यापार, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार स्वास्थ्यपर्यावरण शिक्षा, धारणीय कृषि, ऊर्जा, जोखिम वित्त, तथा बैंकिंग सेवाओं के लिए उधार देने में प्रवृत्त हो चुकी हैं। उदाहरणार्थ : इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) जो आईबीके अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष 1961 में स्थापित एक प्रमुख मीयादी ऋणदाता वित्तीय संस्था है न समय बीतने पर अपनी गतिविधियों में क्रेडिट कार्ड सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जोखिम पूंजी, न्यास लेखा प्रबंध तथा कोषागार परिचालन जैसी विभिन्नता में बदल दिया है। आईबीके के फुटकर बैंकिंग परिचालन अपनी एसएमई उधार गतिविधियों के लिए धीमे तथा निम्न-लागत निधि के महत्वपूर्ण स्रोत का गठन करते हैं। ब्राजील में भी इसी प्रकार की विभिन्नता आई है। कुछ विकास वित्तीय संस्थाओं ने स्वयं को वैश्विक बैंकों (उदाहरणार्थ : सिंगापुर) में परिवर्तित कर लिया है। अपनाई गई नीतियां, विक्रय एवं अभिग्रहण, विधिक ढांचे में परिवर्तन, विधायीकरण को समर्थ बनाना, वित्तीय पुनर्गठन, पुनः अभियंत्रण, कर्ज पुनर्गठन तथा निगमित नियंत्रण हैं।

तथापि, विकासशील देशों में वे विकास वित्तीय संस्थाएं जो स्वयं का परिवर्तित वातावरण के साथ रूपान्तरित नहीं कर सकी हैं, उच्च तथा बढ़ती हुई गैर-निष्पादक आस्तियां, परियोजनाओं के कम लागत लाभ मूल्यांकनों, तथा बड़े प्रावधानों की अपेक्षा करते हुए अपनी आस्ति-देयताओं में व्यापक विसंगति के कारण उत्पन्न समस्याओं से अस्थिर हो रही हैं। इससे भी अधिक, दीर्घावधि नियत दर संसाधनों के संग्रहण में उनकी असमर्थता के चलते लाभ में क्षरण तथा कुछ मामलों में निवल संपत्ति में भी क्षरण हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता, एवं स्थायित्व को विकसित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा अंशांकित वैश्वीकरण ने विकास वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन पर विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी प्रायोजकता का शर्त बंधन के साथ बढ़ाया जा सकता है जैसा कि फ्रांस के मामलों में हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए एक समुचित वैध ढांचे को व्यष्टिगत अर्थशास्त्र तथा सामाजिक-राजनीतिक हालातों, वित्तीय विकास के चरणों तथा प्रत्येक देश विशिष्ट के लिए औद्योगिक विकास के अनुकूल आधारवान बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

डी एधोमन, बीट्रीज एण्जरीज (1999), 'डेवलपमेंट बैंकिंग' जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, खण्ड 58।

म्यूरिंडे, वी (1996) डेवलपमेंट बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, एवब्यूरी, असगेट पब्लिशिंग, एल्डरमॉट, यू.के.।

रिचर्ड वांग वाई.सी.एण्ड एम एल स्पिनिया वांग (2001) 'कम्पीटिवन एन चाइनाज डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्रीज, कैरो जर्नल, खण्ड 21, सं. 1 (स्प्रिंग/सम्मर)।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का पुनर्गठन

5.54 भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को आश्वासन दिया है कि 1 लाख रुपये से कम के सभी निवेशकर्ता को भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक और जर्मनी के एक अग्रणी डेवलपमेंट बैंक, केएफडब्ल्यू से सभी उधारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। पुनः सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बंधपत्रों के वर्तमान कूपन पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिपक्वता की अवधि तक धारण किए गए

5.53 यह विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति ने कुछ अधिक विनियामक स्थगन की सिफारिश की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई परिवर्तित बैंकिंग कंपनी के लिए पांच वर्ष के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने से छूट और कतिपय कर छूट शामिल हैं। मन्त्रिमण्डल ने विधेयक में उपबंध समाविष्ट करने के लिए 11 अगस्त 2003 को विधेयक के संशोधन अनुमोदित किये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई बैंकिंग कंपनी ऐसा विकास बैंक बनी रहेगी जो बड़े, मझोले और लघु उद्योगों को मीयादी ऋण देगी।

सांविधिक चलनिधि अनुपात पर वर्तमान सरकारी प्रतिभूति दर के बीच अन्तर का भी भुगतान करेगी।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

5.55 सांविधिक चलनिधि अनुपात बाण्डों पर 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद हो रहे बकाया मूलधन एवं ब्याज, समान परिपक्वता के लिए पुनर्निधारण अवधि के समय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित ब्याज दर पर अपने संबंधित परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्निधारित होंगे।

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात देयताएं

5.56 सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात का पचास प्रतिशत को 1 अप्रैल, 2002 से 20 वर्षों के बाद जीरो कूपन वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओसीडीज) में परिवर्तित कर किया जाएगा। तथापि, इसे क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा तथा शेष 50 प्रतिशत का 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए पुनः निवेश किया जाएगा।

5.57 सरकार द्वारा अतिदेय अधिमान शेयर पूंजी के साथ-साथ बकाए अधिमान शेयर पूंजी की अवधि के पुनर्निधारण पर सहमति व्यक्त की गई है जो 0.10 प्रतिशत के कूपन दर पर 20 वर्षों की अवधि के लिए अभी बकाया होना बाकी है।

5.58 कुछ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने भी क्रमशः 604 करोड़ तब 245 करोड़ रुपए के सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अवधि के पुनर्निधारण पर सहमति व्यक्त की है।

5.59 भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 2001 में विभिन्न अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को क्रमशः 200 करोड़, 200 करोड़ तथा 100 करोड़ रुपये के अग्रिम को एक विशेष व्यवस्था के रूप में स्वीकृत किए हैं। इन संस्थाओं ने प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर पुनः 20 वर्षों की अवधि के लिए इन अग्रिमों के पुनर्निधारण पर सहमति व्यक्त की है।

7. अन्य गतिविधियां

आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों

5.60 मीयादी ऋणदाता वित्तीय कंपनियों के तुलनपत्र उनकी निवल संपत्ति में क्षरण को प्रतिफलित करते हुए गैर-निष्पादक आस्तियों द्वारा मौलिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय

आस्ति पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002⁷ के अनुपालन में (एसएआरएफएईएसआई) रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना को सहज तथा दृढ़ आधार की सुविधा देने के लिए वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससीज) और पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसीज) को बेचे जाने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फलस्वरूप, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसीज)⁸ अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गठित एवं प्रवर्तित की जा रही है।

समेकित लेखा प्रणाली में प्रगति

5.61 समेकित लेखा प्रणाली पर भारत की सभी वित्तीय संस्थाओं का रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किए जाने के साथ ही, वित्तीय कंपनियों जिनके पास अनुषंगी कंपनियां हैं, समेकित लेखा प्रणाली की ओर आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर चुकी हैं। सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2001-02 से ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटंट्स संस्थान के लेखा प्रणाली मानदंड 21 के अधिदेश में अपने वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में समेकित लेखा प्रणाली की तैयारी/प्रकाशन को पहले ही प्रारम्भ कर दिया है।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) - स्थिति⁹

5.62 एक उच्चस्तरीय समूह (अध्यक्ष : श्री वेपा कामेसम) की सिफारिशों पर आधारित तथा भारत सरकार से विचार-विमर्श के साथ रिजर्व बैंक ने कंपनी ऋण पुनर्संरचना योजना को संभावित किया है। संभावित दिशा-निर्देश पूर्व के दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए। इस अनुपालन में ऋण जमा अनुपात तंत्र रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं में लागू कर दिया गया है।

5.63 ऋण जमा अनुपात व्यवस्था 47 वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा 25 फरवरी 2002 को अंतर जमाकर्ता समझौता (आईसीए) किए जाने के साथ मार्च 2002 से परिचालनात्मक रूप में लागू हुआ। उस तारीख तक, 61 संस्थानों/बैंकों ने जिसमें भारत स्तर की वित्तीय कंपनियों (12), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27) तथा निजी क्षेत्र के बैंक (22) शामिल थे, अंतर जमाकर्ता समझौता (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (वित्तीय कंपनियों में से), सात निजी क्षेत्र के बैंक तथा 41 विदेशी बैंक के अभी इस अंतर जमाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करना बाकी हैं। 2002-03 के दौरान ऋण जमा अनुपात स्थायी फोरम ने दो बार, कोर ग्रुप ने पांच बार, तथा अधिकृत समूह ने 16 बार बैठकें की हैं। प्राप्त 60 आवेदनपत्रों में से (2001-02 से

⁷ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम पर अध्याय II में अधिक विस्तार से विचार किया गया है।

⁸ अध्याय VI में एआरसी पर चर्चा की गई है।

⁹ अध्याय II में ब्यौरे दिये गये हैं।

चार) ऋण जमा अनुपात कक्ष ने सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा 30 दिन के भीतर अधिकृत समूह को भेज दिया है। अधिकृत समूह ने 29 मामलों के संबंध में अंतिम योजना को अनुमोदित कर दिया जिसमें वित्तीय प्रणाली द्वारा सकल सहायता राशि 29,167 करोड़ रुपये है, 6,826 करोड़ रुपये की बकाया सहायता वाले 18 मामलों का अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 8,376 करोड़ रुपये की सकल बकाया सहायतावाले शेष 13 मामलों को संसाधित किया जा रहा है।

पारस्परिक निधियां

पारस्परिक निधियों से संबंधित नीतिगत गतिविधियां

5.64 पारस्परिक निधियों के परिचालन तथा नियंत्रण में सुधार के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान कई उपाय किए गए। इन उपायों में आधार निर्माताओं के कार्य निष्पादन की घोषणा, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश, आधार संहिता पर दबाव, शेयरों के परोक्ष लेनदेन विनियमनों, जोखिम प्रबंधन मानदंड पर दिशा निर्देश, पारस्परिक निधि इकाइयों के विक्रय तथा विपणन में शामिल पारस्परिक निधि मध्यवर्ती संस्थाओं के अधिदेशात्मक पंजीयन जैसे कुछ उपाय शामिल हैं।

पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण

5.65 पारस्परिक निधियों द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान संसाधन संग्रहण मुख्यतः यूटीआई से निधियों के पर्याप्त निवल बहिर्गमन के चलते तेजी से नीचे उतरा जिसकी पुनर्संरचना उसी वर्ष (सारणी V.16 तथा परिशिष्ट सारणी V.8) की गई। निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों में भी निधि संग्रहण में उतार आया जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण में अप्रैल-सितंबर 2003 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। जबकि यूटीआई ने 2002-03 के दौरान पूंजी बहिर्गमन की तुलना में निवल अन्तर्वाह दर्ज किया, निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों में भी भारी संग्रहण दर्ज किया गया।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुनर्संरचना

5.66 विगत कई वर्षों में यूटीआई में हालातों को बिगड़ने से बचाने के लिए कई उपाय किए गए जिनका निवेशकर्ताओं की अवधारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 31 अगस्त 2002 को मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीइए) द्वारा घोषित सुधार पैकेजों यथाप्रस्तावित यूटीआई अधिनियम, 1963 को 30 अक्टूबर 2002 को एक अध्यादेश द्वारा निरसित किया गया। इस अध्यादेश ने यूटीआई को दो हिस्सों यथा यूटीआई I जिसमें यूएस-64 शामिल है तथा जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत आशवासित प्रतिफल योजनाएं रखी जाएंगी, तथा यूटीआई- II (जिसे बाद में यूटीआई पारस्परिक निधि का नाम दिया जाएगा (यूटीआईएमएफ)। जिसमें एनएवी आधारित योजनाएं शामिल हैं, इसे व्यावसायिक प्रबंध में लाया जाएगा तथा

सारणी V.16 : पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपये)

पारस्परिक निधि	2001-02	2002-03
1	2	3
I. सार्वजनिक क्षेत्र*	1,474.4	1,988.2
II. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	-7,284.0	-9,434.0
III. निजी क्षेत्र	12,947.9	12,025.9
कुल योग (I+II+III)	7,138.3	4,580.1

* यूटीआई को छोड़कर।

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. यूटीआई के लिए आंकड़े निवल बिक्री (प्रीमियम के साथ) के हैं जिसमें पुनर्निवेश विक्रय, तथा अन्य पारस्परिक निधियों के लिए विक्रय, सभी योजनाओं के अंतर्गत निवल विक्रय को दर्शाने वाले आंकड़े शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित पारस्परिक निधि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड

सेबी की विनियामक सीमा में लाया जाएगा, में विभाजित करते हुए इसके पुनर्गठन की मांग की। इन दो निकायों के बीच न्यासी एवं देयताओं के वितरण के परिचालनात्मक पक्षों को शामिल करने वाली योजनाएं जनवरी, 2003 से लागू हो गईं। वर्तमान में यूटीआई-1 की सभी योजनाएं, प्रशासक द्वारा संचालित यूटीआई विशिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) द्वारा व्यवस्थित की जा रही है। सरकार ने भी यूटीआईएमएफ के चार प्रायोजकों, यथा : भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो यूटीआई को एक मिश्रित संस्था से पारस्परिक निधि में परिवर्तन को रेखांकित करता है।

5.67 सरकार छोटे निवेशकर्ताओं की यूएस-64 योजना के लिए सभी देयताओं तथा अन्य आश्वस्त आय योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएस-64 यूनितों को बॉण्डों में परिवर्तित कर दिया गया तथा जून 2003 में अनुषंगी बाजार में ट्रेडिंग भी शुरू हो गई वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में यूटीआई-1 को लाभांश वितरण कर से छूट दे दी गई।

5.68 यूटीआई एमएफ द्वारा उन्नत पारदर्शिता तथा घोषणा, भली प्रकार स्थापित निवेश दिशानिर्देश तथा जोखिम प्रबंध पर महत्तम दबाव, नवोन्मेषी योजनाओं को शुरू किया जाना, योजनाओं का विलय, यूनितों का बाण्डों में परिवर्तन, अधिकारों का प्रत्यायोजन, संगठनात्मक सुदृढ़ता, तथा अन्य संबंधित मामलों सहित इसके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए यूटीआईएमएफ द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों को दर्शाते हुए यूटीआईएमएफ ने विगत दो वर्षों के दौरान यूटीआई द्वारा नकारात्मक संसाधन संग्रहण की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान 637 करोड़ रुपये सकारात्मक अन्तर्वाह के साथ अपने संसाधन संग्रहण में सुधार दर्ज किया है।